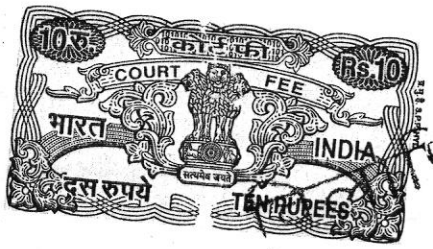

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– पी.बी.आर./निग./भू.रा./ग्वा./2017/

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू०रा०/2017/6055

श्री .... द्वारा आज दि. 13/12/17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13/12/17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुलायम सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह बघेल निवासी ग्राम पंचमपुरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर —प्रार्थी

बनाम

1— ललिताबाई पत्नी श्री रामस्वरूप बघेल निवासी ग्राम पंचमपुरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर

~~2— म. प्र. शासन द्वारा कलैक्टर ग्वालियर~~

—प्रतिप्रार्थीगण

5/1/18

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 17/11/2017 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी डबरा जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 62/2016—17/अपील ललिताबाई बनाम मुलायम सिंह आदि। नायब तहसीलदार महोय वृत पिछोर तहसील डबरा जिला ग्वालियर का प्रकरण क्रमांक 60/2013—14/अ—6—अ आदेश दिनांक 28/04/2017।

13.12.17

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :—

1— यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पोडेण्ट क्रमांक 1 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे भू—राजस्व संहिता की

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2017/6055

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील डबरा जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 62/अपील/2016-17 में पारित आदेश दि. 17-11-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विलम्ब के संबंध में प्रत्येक दिन की स्थिति को उचित रूप से स्पष्ट करना आवश्यक है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में अनावेदक द्वारा कोई उचित कारण नहीं बताया गया है इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में विलम्ब क्षमा करने का पारित अंतरिम आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से प्रथमदृष्टया ही स्पष्ट है कि अनावेदक मूल भूमिस्वामी था । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक नाम हटाया गया है बिना किसी ठोस आधार के । तहसील न्यायालय के आधारहीन आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में 2003 आरएन 198 जिला सहकारी केंन्द्रीय बैंक लि0तथा एक अन्य विरूद्ध हिम्मतप्रसाद में इस आशय का निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है :- "परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा-5-विलम्ब की माफी के लिये आवेदन-उदारतापूर्वक विचार करना चाहिये-विलम्ब का पर्याप्त कारण दर्शाया-विलम्ब माफ किया गया ।" अत: उपरोक्त प्रकाश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दि. 17-11-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	